मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/ 1573 **भोपाल, दिनांक** 9 **/10/2025**

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ______ (समस्त)

भारसाधक अधिकारी / सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
______ जिला - ______ (समस्त)

विषय - सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना - कृत्रिम रूप से भाव कम किए जाने की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश।

मंडी में भावों को कृत्रिम रूप से कम किए जाने की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही हेतु मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000 की कंडिका 16(3)(क) में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं जो कि निम्नानुसार है -

उपविधि कंडिका 16(3)(क) -

"घोष विक्रय के दौरान इशारो एवं संकेतो का प्रयोग, दुरभि संधि (कॉर्टलाईजेशन), कर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने का प्रयास संज्ञान में आने पर अथवा विक्रेता / कृषक द्वारा शिकायत करने पर मंडी की उपसमिति द्वारा मामले का स्थल पर तत्परता पूर्वक निराकरण किया जाएगा। उपसमिति की रिपोर्ट पर मंडी समिति द्वारा उक्त अनियमितता में संलग्न पाए गए मंडी कृत्यकारी को प्रथम बार चेतावनी दी जा सकेगी, दूसरी बार अनियमितता में संलग्न पाए जाने पर आर्थिक दंड अधिरोपण की कार्यवाही की जाएगी तथा निरंतर अनियमितता की पुनरावृति करने पर अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानों के अंतर्गत क्रय-विक्रय पर रोक, अनुज्ञप्ति / विशेष अनुज्ञप्ति का निलंबन अथवा अनुज्ञप्ति / विशेष अनुज्ञप्ति निरस्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही मंडी समिति द्वारा की जाएगी / प्रस्तावित की जाएगी। आर्थिक दंड का निर्धारण मंडी समिति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन किया जा सकेगा।"

इसी क्रम में सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत भावों में संभावित गिरावट पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से VC दिनांक 06.10.2025 में विस्तृत चर्चा उपरांत आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि -

1. नीलामी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। नीलामी में अधिक से अधिक क्रेता व्यापारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। लाइसेंस प्रक्रिया का संभावित व्यक्तियों के मध्य प्रचार-प्रसार भी किया जाए, जिससे अधिक से अधिक व्यापारियों के द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर व्यापार किया जा सकें।

2. मंडी में प्राप्त हो रहे भावों की नियमित समीक्षा की जाए तथा उनकी तुलना आस-पास की मंडियों में प्रचलित भावों एवं सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दिए जा रहे भावों से नियमित रूप से की जाए एवं व्यापारियों को अवगत कराया जाए।

3. भारसाधक अधिकारी / मंडी सचिव द्वारा प्रथम नीलामी की कार्यवाही प्रारंभ कराई जाए तथा नीलामी प्रक्रिया का समय-समय पर **प्रत्यक्ष अवलोकन** किया जाए।

4. भावों में अत्यधिक गिरावट की स्थिति में नीलामी को **तात्कालिक रूप** से रोका जाए तथा व्यापारियों को समझाईश दी जाए कि वे युक्तियुक्त भाव पर प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी कर कृषकों से उचित मूल्य पर उपज क्रय करें।

5. यदि यह पाया जाता है कि व्यापारियों द्वारा जानबूझकर एवं आपस में मिलकर भाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो संबंधित व्यापारियों पर उपविधि के प्रावधान अनुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही शीघ्र की जाए।

6. नीलामी में भाग लेने हेतु FPOs को तथा विशेष अनुज्ञप्ति धारकों (Big Buyers, Processors, Exporters) को भी मंडी नीलामी में भाग लेने आमंत्रित किया जाए. जिससे कृषकों को उचित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य सुनिश्चित हो।

7. भारसाधक अधिकारी / मंडी सचिव दैनिक आधार पर भाव की समीक्षा कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। आवश्यकता अनुसार जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जाए।

उपरोक्त कार्यवाही का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंडियों में भाव की अनावश्यक / कृत्रिम गिरावट न हो, जिससे कृषकों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा मंडी स्थापना एवं संचालन के उद्देश्य सुनिश्चित हो सकें।

अतः सभी भारसाधक अधिकारी / मंडी सचिवों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में अविलंब गंभीरता एवं सक्रियता से कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कुमार पुरुषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/ बोर्ड/ भा.भु.यो./ 2025/ 1574 **भोपाल, दिनांक** 9 **/10/2025**

प्रतिलिपि :- **कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. कलेक्टर, जिला - ______ (समस्त)।
5. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल